



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19252/2026

रवि सिंह @ रामदास

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

- वर्तमान मामले को मेंशन केस की श्रेणी के तहत सामान्य क्रम से हटकर सुनवाई के लिए लिया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना और राज्य-प्रतिवादियों के लिए एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 79/2026, थाना कोतवाली जिला गोरखपुर में दर्ज धारा 318(4), 3(5) बीएनएस और धारा 66डी आई.टी. अधिनियम के तहत सुनवाई के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 17.4.2026 से जेल में बंद है। यह भी प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, पांच नामित आरोपी व्यक्तियों और उसके सहयोगियों ने सूचनाकर्ता की चेक बुक और एटीएम कार्ड प्राप्त किए थे और कहा जाता है कि उन्होंने सूचनाकर्ता के बेटे के बैंक खाते में साइबर धोखाधड़ी की थी, हालांकि, आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही राशि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी राहुल सिंह और आदित्य चौधरी @ सौरभ चौधरी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 27.05.2026 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18554/2026 और 17363/2026 में पारित आदेशों द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, यदि प्रदान किया जाता है। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. दूसरी ओर विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

6. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर विस्तार करने का हकदार है।

7. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- **रवि सिंह @ रामदास** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026